सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 पौष, 1942 (श०)

संख्या- 7 राँची, मंगलवार, 5 जनवरी, 2021 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

17 दिसम्बर, 2020

संख्या-एल0जी0-03/2020-389/लेज0-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-11/12/2020 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी (संसोधन) अधिनियम, 2020

(झारखण्ड अधिनियम संख्या- 10, 2020)

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 में संशोधन करते हुए किसी शिकायत एवं आरोप के सम्बन्ध में शीघ्र कार्रवाई निमित्त सम्बन्धित प्रशासी विभाग को शक्ति प्रत्यायोजित करने हेतु प्रावधानित करने के सम्बन्ध में।

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 में संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 71वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल(सभा) द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. यह अधिनियम ''झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी (संशोधन) अधिनियम, 2020'' कहलाएगा।
2. इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा।
3. यह अधिनियम तत्काल प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-11 के उपरान्त निम्नांकित परन्तुक निम्नवत् अन्तःस्थापित होगी:-

''परन्तु यह कि यदि प्रशासी विभाग को यह यथेष्ट प्रतीत होता है कि किसी शिकायत/ आरोप के संबंध में शीघ्र जाँच कर कार्रवाई की जानी है तो संबंधित प्रशासी विभाग जैसा उचित समझे संबंधित शिकायत/ आरोप की जाँच कर सकेगा। जाँचोपरान्त अथवा विभागीय स्तर पर लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में यह पाये जाने पर कि नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी या प्रथम अपीलीय पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए कत्र्तव्यों का निर्वहन करने में, बिना किसी पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणों के, असफल रहा हो, तो प्रशासी विभाग उसके विरूद्ध, उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा।''

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

17 दिसम्बर, 2020

संख्या-एल0जी0-03/2020-390/लेज0-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-11/12/2020 को अनुमत झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी (संसोधन) अधिनियम, 2020 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है,जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Rajya Seva Dene Ki Guarantee (Sanshodhan) Act, 2020
(Jharkhand Act 10, 2020)
PRELIMINARY

1. Short, Title, Extent and Commencement

2. Jharkhand Rajya Seva Dene Ki Guarantee (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 to amend any complaint/allegation is to be acted upon expeditiously on examination, the concerned administrative department, as it deems fit, may examine the said complaint/allegation.

An Act *to Amend the Jharkhand Rajya Seva Dene Ki Guarantee Adhiniyam, 2011*

In the 71st year of the Republic of India, this be enacted by the Jharkhand State Legislature (Assembly), in the following way :-

1. Short title, extent and commencement.
   (1) This Act shall be called "Jharkhand Rajya Seva Dene Ki Guarantee (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020."
   (2) It shall extend to the whole of the State.
   (3) This Act shall come into force with immediate effect.

2. After Section-11 of the Jharkhand Rajya Seva Dene Ki Guarantee Adhiniyam, 2011, the following proviso shall be inserted as follows:-

"Provided that if it appears sufficient to the administrative department that any complaint/allegation is to be acted upon expeditiously on examination, the concerned administrative department, as it deems fit, may examine the said complaint/allegation. After the examination or during the review of pending cases at departmental level, if it is found that the designated officer or the first appellate officer has failed to discharge the duties assigned under this Act without any substantial and justifiable reasons, the administrative department may take disciplinary action against him/her as per the Service Rules applicable upon him/her."

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 7-- 50